



अधिकतम 34 डिग्री

न्यूनतम 21 डिग्री

# सरगुजा-कोरिया भूमि

बिलासपुर, बुधवार, 12 नवम्बर 2025

अम्बिकापुर | सूरजपुर | बलरामपुर | विश्रामपुर | लखनपुर | रामानुजगंज

शीतलहर के प्रभाव से पारा में रिकॉर्ड गिरावट



**SWAMI JYOTKANAND UNIVERSITY**  
SIRONJA, SAGAR - (M.P.)  
**EDUCATION**  
D.Ed., B.Ed., B.El.Ed.  
(Part Time 3 Yrs)  
B.Ed + M.Ed  
(Integ. 3 Yrs)  
B.A + B.Ed  
(Integ. 4 Yrs)  
B.P.Ed., M.P.Ed., M.Ed

**आसरा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग**  
जबलपुर, सुबानापुर सड़क, ज.न.  
मॉ. 9826156669, 7000288169  
**B.S.C. नर्सिंग**  
(4 वर्षीय कोर्स)  
**G.N.M.** (3 वर्षीय कोर्स)  
स्कॉलरशिप-शामल के निधमानसार  
पता - CTO चांदनी चौक, इण्डियन गैस गोदाम के पास, खैरवाट रोड, मयापुर अम्बिकापुर

**खबर संक्षेप**

**स्वाध्यायी परीक्षार्थियों का ऑनलाइन पंजीयन 15 तक**

अम्बिकापुर। एसजीजीयू ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत संचालित स्नातक पाठ्यक्रमों के स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के ऑनलाइन पंजीयन एवं नामांकन तिथि को बढ़ा दी है। पूर्व में विवि के वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीयन एवं नामांकन की तिथि 11 नवम्बर तक निर्धारित की गई थी जिससे बढ़ाकर अब 15 नवम्बर कर दिया गया है। विवि ने छात्र हित में स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर के नियमित एवं स्वाध्यायी परीक्षा के ऑनलाइन फार्म भरने की तिथि भी बढ़ा दी है। परीक्षाओं अग 11 नवम्बर के बजाय 15 नवम्बर तक पोर्टल पर ऑनलाइन फार्म भर सकेंगे।

**चार पुलिसकर्मी किए गए लाइन अटैच**

अम्बिकापुर। बलरामपुर कोतवाली पुलिस की अभिरक्षा में चोरी के आरोप में हिरासत में लिए गए संदेही की मौत के मामले में आईजी ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस कस्टडी में हुई मौत के मामले में आईजी ने चार पुलिसकर्मीयों को लाइन अटैच कर दिया है। बड़ी बात यह है कि मंगलवार को पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के साथ मृतक के परिजन ने आईजी से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने पुलिस पर मृतक उमेश सिंह को घर से उठाकर ले जाने और बेरहमी से मारपीट का आरोप लगाया था। परिजन का कहना था कि उमेश सिंह की पिटाई की गई जिससे उसकी मौत हुई और मौत के बाद शव को देखने तक नहीं दिया गया। परिजन लगातार इस मामले में दोषियों पर एफआईआर और निलंबन की मांग कर रहे थे। ऐसे में आईजी दीपक झा ने भी उन्हें अपने स्तर पर जांच व कार्रवाई का आश्वासन दिया था। इस बीच देर शाम आईजी ने पुलिस हिरासत में उमेश सिंह की मौत के मामले में साइबर सेल से निरीक्षक हिमंत सिंह शेखावत, बलरामपुर थाना से सजिन राधेश्याम विश्वकर्मा, साइबर सेल से आरक्षक आकाश तिवारी, व महिला आरक्षक माधुरी कुंजरू को तहल्ला प्रभाव से रक्षित केंद्र अटैच कर दिया है।

## गला घोटकर उतारा मौत के घाट चार महीने से लापता किशोरी का मिला कंकाल, नाबालिग प्रेमी निकला हत्यारा



जंगल से बराम युवती के कंकाल व परिजन।



हरिभूमि न्यूज | अम्बिकापुर

चार महीने से लापता किशोरी की हत्या कर शव को जंगल में दफन करने का मामला सामने आया है।

**खास बात** कि शोरी की हत्या उस के ना बालिग प्रेमी ने की थी। पुलिस ने संदेही की निशानदेही पर जंगल से कंकाल बरामद किया है। जंगल में किशोरी का कंकाल मिलने से कंकाल बरामद किया है। जंगल में किशोरी का कंकाल मिलने से कंकाल बरामद किया है। जंगल में किशोरी का कंकाल मिलने से कंकाल बरामद किया है।

**चिरगा जंगल में दफन की लाश, जांच जारी**

उस के ना बालिग प्रेमी ने की थी। पुलिस ने संदेही की निशानदेही पर जंगल से कंकाल बरामद किया है। जंगल में किशोरी का कंकाल मिलने से कंकाल बरामद किया है। जंगल में किशोरी का कंकाल मिलने से कंकाल बरामद किया है।

बताया जा रहा है कि सूरजपुर

**कराया जाएगा डीएनए टेस्ट**

बताया जा रहा है कि मौके से पुलिस को मुक्तिका का बैग भी घटना स्थल से मिला है जिसमें उसके दो जींस और कपड़े मले हैं। कपड़ों से किशोरी की पहचान उसकी मां और सहयोगियों ने की है फिर भी पुलिस ने कंकाल का डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा। मुक्तिका संगीता रजक के पिता रामजीत रजक की पूर्व में मौत हो चुकी थी। वह अपनी मां और भाई के साथ रहती थी और शहर के मकान में रहकर काम करती थी।

**शादी समारोह में हुई थी दोनों की पहचान**

पुलिस के अनुसार मुक्तिका संगीता रजक और नाबालिग आरोपी की पहचान एक शादी समारोह में हुई थी जहां दोनों ने मोबाइल नम्बर का आदान प्रदान किया। दोनों के बीच बाद में प्रेम संबंध स्थापित हो गया। मुक्तिका अम्बिकापुर आने के बाद अपने प्रेमी पर शादी का दबाव बना रही थी। उसने प्रेमी से कहा था कि वह उसके घर रहने आ रही है जिसके बाद ही नाबालिग प्रेमी ने हत्या की साजिश रची। पुलिस के अनुसार 3 अगस्त को नाबालिग प्रेमी भाइक से अम्बिकापुर आया और संगीता से मुलाकात कि। 4 अगस्त को वह संगीता को घुमाने के बहाने बतौली के चिरगा ले गया और जंगल में उसके सिर पर पत्थर से वार कर दिया जिससे वह मिर गई। किशोरी के गिरने पर गला दबाकर हत्या कर दी और लाश को वहीं गड्ढा खोदकर दफन करने के साथ ही उसका बैग भी वहीं दबा दिया।

**चल रही है जांच**

गुमशुदगी के मामले में जांच के बाद कंकाल बरामद किया गया है। इस मामले में जांच और पूछताछ चल रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी।

-अमोलक सिंह दिल्ली एएसपी

जिले के रमकोला थाना क्षेत्र में रहने वाली 16 वर्षीया संगीता रजक शहर के पटपरिया में किराए के मकान में अपनी सहयोगियों के साथ रहकर काम करती थी और 4 अगस्त को किशोरी अपने किराए के मकान से निकली लेकिन वापस नहीं लौटी। किशोरी के घर नहीं आने पर खोजबीन

►►शेष पेज 4 पर

## पूर्व मंत्री व मृतक के परिजन ने की आईजी से मुलाकात, फिर से पीएम की मांग

हरिभूमि न्यूज | अम्बिकापुर

चोरी के आरोप में पुलिस हिरासत में लिए गए युवक को मौत के मामले में तीसरे दिन भी पुलिस व परिजन के बीच च शव के अंतिम संस्कार को लेकर सहमती नहीं बन पाई। इस बीच परिजन ने पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के साथ आईजी से मुलाकात की। आईजी ने परिजन को पुनः पीएम कराने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट से मिलकर अनुमति लेने की बात कही जबकि अन्य शिकायतों पर अपनी ओर से जांच टीम गठित कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। इन सब के बीच तीसरे दिन भी परिजन युवक का शव लेने और अंतिम संस्कार के लिए राजी नहीं हुए हैं। बता दें कि धनंजय ज्वेलर्स में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने सीतापुर के बादी गिरोह को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ के बाद 50 लाख रूपए के चोरी के जेवर, सोना चांदी और नगदी रकम बरामद किया लेकिन इस बीच हिरासत में लिए गए एक आरोपी 19 वर्षीय उमेश सिंह को पुलिस हिरासत में मौत हो गई। युवक की मौत के बाद पुलिस ने न्यायिक जांच की प्रक्रिया शुरू करने के साथ ही मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में नियमानुसार पीएम कराया लेकिन परिजन ने पीएम के बाद शव लेने से इनकार कर दिया है। परिजन का कहना है कि पुलिस ने उनकी गैर



**परिजन कर रहे न्याय की मांग**

पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि पुलिस उमेश सिंह को सही सलामत उठाकर ले गई और दो दिन बाद उसकी पुलिस हिरासत में मौत हो गई। परिजन को युवक से मिलने नहीं दिया गया। मृत बच्चे को देखने गए लोगों को लाठी मारकर खदेड़ दिया गया। इस अमानवीय कृत्य के लिए सरकार और पुलिस को आगाह करते हैं कि यह प्रजातंत्र और छग के आवाग के लिए अच्छा संदेश नहीं है। सरकार की नैतिक जवाबदारी है लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, जो परेशान है उसको संरक्षण देना, जिनके साहस गलत हुआ है उन्हें न्याय मिले। आदिवासियों को उम्मीद थी कि हमारे पड़ोसी मुख्यमंत्री बने हैं हमारी बात सुनी जाएगी और न्याय होगा लेकिन इन सब उम्मीदों पर पानी फिर गया। अगर रक्षक ही मक्षक हो जाए तो लोग कहां जाएंगे। मां, बहनों बिलख रही है उनको न्याय दिलाने के बदले रोक दिया जा रहा है गांव में बेरिक्ट लगाया जा रहा है। सरकार से आग्रह है कि इस प्रकरण में आप पबल डालने की कोशिश ना करें। अगर कोई दोषी है तो उसे बचाने की कोशिश ना की जाए। यह मामला काफ़ी संवेदनशील है, तीसरा दिन है और अब तक अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं।

**मामला न्यायिक जांच की परिधि में**

मृतक के परिजन ने अपनी मांगें रखी हैं। उन्हें कहा है कि वर्तमान में न्यायिक जांच हो रही है और निष्पत्त: मजिस्ट्रेट के माध्यम से ही जांच कराना उचित होगा। अन्य शिकायतों पर हमारे स्तर से भी जांच व कार्रवाई होगी लेकिन पूरा मामला न्यायिक जांच की परिधि में है, कथन कराने के लिए विशेष आग्रह किया गया है। वे मजिस्ट्रेट के सामने अपनी बात रखें। बांड़ी सुरक्षित मजदूरी में रखा गया है। परिजन से शव का अंतिम संस्कार करने का आग्रह किया गया है।

-दीपक झा, आईजी

मौजूदगी में पीएम कराया और मौत के बाद भी शव देखने नहीं दिया गया। परिजन की मांग है कि फिर से मृतका का पीएम अम्बिकापुर या सीतापुर के डॉक्टरों की टीम से कराया जाए, परिजन को 1 करोड़ रूपए की मुआवजा राशि दी जाए और दोषी पुलिसकर्मीयों पर एफआईआर हो। इन मांगों के पूर्ण नहीं होने ►►शेष पेज 4 पर

## 2.87 करोड़ की ज्वेलरी डकैती मामले में अदालत ने पांच आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

हरिभूमि न्यूज | रामानुजगंज

राज्य को झकझोर देने वाली राजेश ज्वेलर्स डकैती प्रकरण में सत्र न्यायाधीश हेमंत सराफ की अदालत ने सोमवार को पांच आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों में महिला अभियुक्त अंजनी एकका भी शामिल है।

11 सितंबर 2024 की दोपहर करीब 1.15 बजे रामानुजगंज गांधी चौक स्थित राजेश ज्वेलर्स में आठ हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोल दिया था। पिस्तौल व देशी कुट्टों से लैस लुट्टे में दुकान मालिक राजेश सोनी को पिस्टल के कुंदे से मारकर घायल कर दिया और 5 किलो सोना, 7 किलो चांदी, 7 लाख नकद और मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। कुल लूट की कीमत करीब 2.87 करोड़ आंकी गई। घटना के समय ग्राहक लालेश्वर गुप्ता व उनकी पत्नी शोभा गुप्ता भी दुकान में मौजूद थे, जिनसे भी सोने की चैन, अंगूठी और मोबाइल छीन लिए गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरोह के सदस्यों की पहचान की और मुख्य आरोपियों को झारखंड व छत्तीसगढ़



**दोषी ठहराए गए आरोपी**

आनंद उर्फ सोनू सोनी, मोनू सोनी उर्फ राजा सोनी उर्फ बुकिंग, राहुल मेहता, अरविंद कुमार व अंजनी एकका शामिल हैं। इन पांचों को धारा 310(6) व 311 के तहत दोषी पाया गया। मोनू सोनी को अतिरिक्त रूप से आठवें अधिनियम की धारा 25 के तहत भी दोषी ठहराया गया। धारा 310(6) के तहत आजीवन कारावास एवं 50 हजार रूपए जुर्माना, धारा 311 के तहत 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50 हजार रूपए जुर्माना, मोनू सोनी को आठवें अधिनियम धारा 25 के तहत 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 5 हजार रूपए जुर्माना, जुर्माना न देने पर क्रमशः 3 माह, 3 माह और 1 माह का अतिरिक्त कारावास मुहूर्तमान होगा।

**जब्त माल सुपुर्द**

जब्त सोना 4208.7 ग्राम, चांदी 6800 ग्राम तथा बोलोरो वाहन, बाइक, हथियार और अन्य वस्तुएं न्यायालय अक्षरक्ष में रखी गई हैं। शास्त्र की ओर से पेरवी लोक अभियोजक अशोक गुप्ता द्वारा की गई वही प्रकरण की विवेचना तात्कालिक निरीक्षक रमाकान्त तिवारी ने की थी।

के विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार किया। सत्र न्यायाधीश हेमंत सराफ ने फैसले

**अभियुक्ता अंजनी एकका की भूमिका**

पुलिस जांच में पाया गया कि अंजनी एकका ने मुख्य आरोपी सोनू सोनी के साथ मिलकर लूट के आसूषणों को खपाने और धन को अपने खाते में रखने में सहयोग किया था। उसके बैंक खाते से 6 लाख 59 हजार 500 की राशि बरामद हुई, जिसे अदालत ने अपील अवधि के बाद पीड़ित राजेश सोनी को लौटाने का आदेश दिया है।

**फरार आरोपी अब भी पुलिस पकड़ से बाहर**

अदालत ने अभियुक्त विक्रम सिंह, रोहित कुमार सिंह, राधेश्याम कुमार उर्फ श्याम पासवान को फरार घोषित कर स्थानीय गिरफ्तारी वार्ड जारी किया है। वहीं डबलू प्रसाद गुप्ता और रविशंकर पासवान उर्फ साधु के खिलाफ जब्त व गिरफ्तारी की कार्रवाई शेष है।

में कहा दिन-दहाड़े बाजार में हथियारों के बल पर की गई यह डकैती समाज कोशिक के दो माह एक बच्चे का 7 नवंबर को टीकाकरण किया गया था। टीका लगाने के कुछ घंटे बाद ही बच्चे

## नव नियुक्त कुलपति प्रो.कालपाले ने संभाला कार्यभार, किया विभागों का भ्रमण

अम्बिकापुर। संत गहिरा गुरु विवि के नवनियुक्त कुलपति प्रो.राजेंद्र कालपाले ने मंगलवार को अपना कार्यभार ग्रहण किया। वे सुबह विवि के पुराने भवन स्थित कुलपति कार्यालय पहुंचे एवं पदभार संभाला। इस दौरान कार्यवाहक कुलपति प्रो.पीपी सिंह एवं कुलसचिव डॉ.एसपी त्रिपाठी सहित विवि के अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

कार्यभार ग्रहण करने के दौरान उनसे मिलने बड़ी संख्या में राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय के वैज्ञानिक पहुंचे थे। उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों से मिलकर उनका कुशलक्षेम पूछा एवं कृषि महाविद्यालय में संचालित शोध गतिविधियों की जानकारी ली। कृषि



विभागों की स्थिति की भी जानकारी ली। चर्चा उपरांत उन्होंने कुलसचिव डॉ.त्रिपाठी एवं सहायक कुल सचिव श्री अग्रवाल के साथ परिसर में निर्माणधीन भवनों एवं पूर्ण हो चुके भवनों का

►►शेष पेज 4 पर

वैज्ञानिकों को बिदा करने के बाद कुलपति प्रो.कालपाले ग्राम पंचायत भुकरा स्थित विवि परिसर पहुंचे तथा कुलसचिव डॉ.त्रिपाठी के साथ प्रशासनिक कार्यालय के सभी विभागों का भ्रमण कर अधिकारी-कर्मचारियों से मिलकर उनका परिचय एवं कामकाजी की जानकारी ली। उन्होंने कुलसचिव डॉ.त्रिपाठी से विवि में उपलब्ध सुविधाओं एवं समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने विवि के शैक्षिक

## टीकाकरण के बाद दो माह के मासूम की मौत परिजन ने लगाया लापरवाही का आरोप

हरिभूमि न्यूज | राजपुर

स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण के बाद दो माह के मासूम की मौत का मामला सामने आया है। टीका लगाने के कुछ घंटे बाद ही उ स की तबीयत बिगड़ गई। परिजन ने इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और मुआवजा की मांग की है।

बताया जा रहा है कि विकासखंड के ग्राम ओकरा निवासी जगदीश भी स्वास्थ्यकर्मी मौजूद नहीं था। इलाज के अभाव में परिजन बच्चे को वापस घर ले आए जहां अगली सुबह



की तबीयत बिगड़ने लगी जिसके बाद परिजन बच्चे को लेकर तत्काल उप स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे लेकिन वहां कोई भी स्वास्थ्यकर्मी मौजूद नहीं था। इलाज के अभाव में परिजन बच्चे को वापस घर ले आए जहां अगली सुबह

उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजन सदमे में है इसके साथ ही क्षेत्र में शोक का माहौल है। परिजन ने इस मामले में स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजन ने इस संबंध में थाना प्रभारी

को जापन सौंपने के साथ ही कार्रवाई की मांग की है। परिजन की मांग है कि दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाए और 5 लाख रूपए की मुआवजा राशि दी जाए। इधर इस घटना के बाद सीएमएचओ के निर्देश पर जांच टीम गठित कर दी गई है। बीएसओ के नेतृत्व में मामले की जांच कराने के साथ ही बच्चे का पीएम कराया गया है।

**चल रही है जांच**

मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच टीम गठित की गई है। बच्चे के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और रिपोर्ट आने के बाद जो भी तथ्य सामने आएं उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

-डॉ. रमेश जायसवाल, बीएसओ

## पुलिस ने पीटा एक्ट के तहत की कार्रवाई, घर से मिली आपत्तिजनक सामग्री

# शहर के बीच चल रहा था देह व्यापार का कारोबार, एक महिला गिरफ्तार

हरिभूमि न्यूज | अम्बिकापुर

शहर में देह व्यापार के रिकेट का खुलासा हुआ है। महिला थाना पुलिस की टीम ने रेड कार्रवाई के दौरान लोगों को रंगे हाथों पकड़ा है। घटना स्थल से पुलिस को बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक वस्तुएं भी मिली है। पुलिस ने इस मामले में एक महिला को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है।

बताया जा रहा है कि शहर में पुलिस को लम्बे समय से शहर में देह व्यापार के अंधे कारोबार की सूचना मिली रही थी। महिला अपने घर में बाहर से युवतियां बुलाकर लोगों से

पैसे लेकर वेश्यावृत्ति करवा रही थी। सूचना के बाद एसएसपी राजेश अग्रवाल के निर्देश पर सीएसपी राहुल बंसल के नेतृत्व में पुलिस ने मुख्यालय से मिली सूचना के आधार पर घर में रेड कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान उक्त घर से पुलिस ने संदिग्ध हालत में युवक-युवतियों को पकड़ा। पुलिस की जांच के दौरान मौके से कुल चार युवतियों को पकड़ा गया था। सभी युवतियां सरगुजा के बाहर की हैं। इसके साथ ही पुलिस ने मौके से बड़ी संख्या में उपयोग किये गए निरोध, नए पैकेट में बंद निरोध, 2000 रूपए नगद व डायरी जब्त किया। पुलिस के अनुसार घर में देह व्यापार का कारोबार महिला द्वारा



किया जा रहा था। पुलिस ने जब महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपने घर में अनेक देह व्यापार को संचालित करने की बात स्वीकार की महिला युवकों को संपर्क कर युवतियों की देह व्यापार कराने का रेट एवं उसके एजेंट में

**चल रही है जांच**

देह व्यापार के मामले में रेड कार्रवाई की गई है। इस मामले में एक महिला को गिरफ्तार कर पीटा एक्ट की कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही मामले की जांच चल रही है।

-राहुल बंसल, सीएसपी

स्वयं का कमीशन की बात कही। उक्त आरोपियां द्वारा अनेक कृत्य के लिये युवकों से राशि लेना, कमरा उपलब्ध कराकर घर की आड़ में युवतियों से वेश्यावृत्ति का संचालन कर अवैध रूप से आय अर्जित करने का कृत्य पाये जाने से अपराध धारा 3,4,5,7 अनेक देह व्यापार निवारण अधि. 1956 का पाए जाने पर धारा 3,4,5,7 अनेक देह

व्यापार निवारण अधि. 1956 का अपराध पंजीबद्ध कर बाद थाना आकर मामले में नम्बरी अपराध दर्ज कर महिला को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इस कार्रवाई में सीएसपी राहुल बंसल के नेतृत्व में महिला आरक्षक सरला टोप्यो, निक्की मिश्रा आरक्षक अतुल सिंह एवं विकास सक्रिय रहे।

**एस.एम.सी. सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल**  
हृदय-रोग सम्बंधित परामर्श लेने  
15 नवंबर 2025 (शनिवार) को अम्बिकापुर में

छ.ग. के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ  
**डॉ. सतीश सूर्यवंशी**  
MD, DM (Cardiology)

स्थान:- लाइफ लाइन हॉस्पिटल गवर्नमेंट पोलिटैक्निक कॉलेज के पास, सिंग रोड, अम्बिकापुर (छ.ग.)  
दिनांक- 15 नवंबर 2025 (शनिवार) समय: सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक

एजियोग्राफी एवं एजियोलास्टी की सुविधा  
समस्त हृदय रोगों के इलाज की सुविधा उपलब्ध  
ESIC, CSEB, SECL,  
आयुष्मान भारत से मान्यता प्राप्त

पूर्व रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें:-  
**7354882583/9755534404**

Infront of BSNL office, Vidhan Sabha Road,  
Near Ashok Ratan, Shankar Nagar, Raipur (C.G.)  
9039855001/9039855002  
www.smschospital.in





